

F.No. A-12018/13/2012-Ad.IIB
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

New Delhi, the 24th March, 2021

To

All Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners,
Pr. Directors General/ Directors General,
under CBIC.

(Through official website of CBIC)

Subject: Recruitment Rules for the post of Private Secretary.

Madam/ Sir

I am directed to say that the Recruitment Rules for the post of Private Secretary in Level 7 in the Pay Matrix under CBIC, Department of Revenue, Ministry of Finance have been notified on 13.03.2021 in the Gazette of India vide GSR 25 dated 09.03.2021. The related portion of RRs is at pg. 361 to 366 of the Gazette. A copy of the same is enclosed.

2. It is requested to kindly circulate the notified RRs amongst the officers concerned.

Encl. - As above.

Yours faithfully



(S. K. Jain)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 011-23095584

Copy to-

1. The Director General of Systems & Data Management, CBIC with the request to upload the notified RRs for the post of Private Secretary, on the website of CBIC.
2. The Secretary, UPSC Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi - for information [UPSC ref. letter F.No. 1596/44/2019-UPSC(RR)].
3. OSD to Chairman, CBIC
4. PS to Member (Admn.), CBIC.
5. Commissioner (Coord), CBIC.
6. DS (Ad.IIA&B), CBIC.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19032021-225982
CG-DL-W-19032021-225982

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 7 - मार्च 13, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 16 - फाल्गुन 22, 1942
No. 10] NEW DELHI, MARCH 7 - MARCH 13, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 16 - PHALGUNA 22, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड, आयुक्तालयों तथा निदेशालयों, निजी सचिव (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप

किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में आयुक्तालयों तथा निदेशालयों में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, आयुक्तालयों तथा निदेशालयों, निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. विशेष उपबंध.— (1) आयुक्तालयों तथा निदेशालयों के प्रत्येक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी का अपना एक अलग संवर्ग होगा जब तक कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात बोर्ड कहा गया है) द्वारा उसकी ओर से अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाए। निष्पादन प्रबंधन महानिदेशक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली निम्नलिखित निदेशालयों के संबंध में उक्त पद के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (i) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय;
- (ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय;
- (iii) माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय;
- (iv) रसद निदेशालय;
- (v) करदाता सेवा महानिदेशालय;
- (vi) प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय;
- (vii) केंद्रीय राजस्व नियंत्रक प्रयोगशाला;
- (viii) सतर्कता महानिदेशालय;
- (ix) एन्टी प्रोफीटियरिंग महानिदेशालय;
- (x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय;
- (xi) लेखा परीक्षा महानिदेशालय;
- (xii) विधिक मामले निदेशालय;
- (xiii) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय;
- (xiv) मुख्य आयुक्त (प्राधिकृत प्रतिनिधि), सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीइएसटीएटी);
- (xv) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय;
- (xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय;
- (xvii) अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय;
- (xviii) माल एवं सेवा कर महानिदेशालय;

(2) समूह 'ख' श्रेणी में सभी विलय किए गए निदेशालय के पदों की परस्पर ज्येष्ठता को, इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत किया जाएगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित अथवा गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निजी सचिव	340*(2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या प्रोन्नति किए गए व्यक्ति के संबंध में, सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रतिशत द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा भर्ती के मामले, में उस श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समामेलन किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति:

			<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपए) में आशुलिपिक ग्रेड-1 में, उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में विचार-विमर्श किया जाना है
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1. संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय के प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक - अध्यक्ष;</p> <p>2. प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त या मानव संसाधन विकास महानिदेशालय के प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक - सदस्य;</p> <p>3. अपर या संयुक्त आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) या निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय के अपर या संयुक्त निदेशक - सदस्य;</p>	संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/13/2012-एडी II बी]

एस.के.जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th March, 2021

G.S.R. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Commissionerates and Directorates, Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Commissionerates and Directorates under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Commissionerates and Directorates, Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Special provision.**— (1) Each Cadre Controlling Authority of Commissionerates and Directorates shall have its own separate cadre unless otherwise specifically prescribed by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (hereinafter referred to as the Board) in this behalf. The Directorate General of Performance Management, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi, shall be the Cadre Controlling Authority for the said post in respect of the following Directorates, as approved by the Board, namely:-

(i) Directorate General of Performance Management;

- (ii) Directorate General of Revenue Intelligence;
- (iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence;
- (iv) Directorate of Logistics;
- (v) Directorate General of Tax Payer Services;
- (vi) Directorate General of Systems and Data Management;
- (vii) Central Revenues Control Laboratory;
- (viii) Directorate General of Vigilance;
- (ix) Directorate General of Anti-Profiteering;
- (x) Directorate General of Export Promotion;
- (xi) Directorate General of Audit;
- (xii) Directorate of Legal Affairs;
- (xiii) Directorate General of Human Resource Development;
- (xiv) Chief Commissioner (AR), Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT);
- (xv) Directorate General of Analytics and Risk Management;
- (xvi) Directorate General of Valuation;
- (xvii) Directorate of International Customs; and
- (xviii) Directorate General of Goods and Service Tax.

(2) Inter-se-seniority of all merged Directorate posts in the grade of Group 'B' shall be integrated as per the instructions or guidelines issued by the Government of India from time to time in this regard.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment for the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Private Secretary	340* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-).	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation /absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Stenographer Grade-I in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Cadre Controlling Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Director General or Director General of Directorate General of Performance Management – Chairman; 2. Principal Commissioner or Commissioner or Principal Additional Director General or Additional Director General, Directorate General of Human Resource Development – Member; 3. Additional or Joint Commissioner (Personnel and Vigilance) or Additional or Joint Director, Directorate General of Performance Management – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/13/2012-Ad.IIB]

S. K. JAIN, Under Secy.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

सा.का.नि. 26.—कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फील्ड कैडर पदों, उप कृषि विपणन सलाहकार, सहायक कृषि विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन अधिकारी (समूह- I) भर्ती नियम, 2018 भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के सा.का.नि.173 दिनांक 8.6.2018, हिंदी संस्करण के नियम 7 में, "आयु-सीमा में छूट" शब्द हटाए जाए।

इसके अलावा, अनुसूची की निम्नलिखित सामग्री को अधिसूचना के अहम हिस्सा के रूप में पढ़ा जा सकता है: